प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 540 सन् 2004

कमलेश साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु दिनांक : 13-09-2012 को सूचीबद्ध करें।

सही /-

(आर. एस. शर्मा)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 540 सन् 2004

अपीलार्थी कमलेश साहू, पिता— पन्ना लाल साहू,
आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी— रामकुंड,
उछाला तालाब, थाना— सरस्वती नगर,
जिला— रायपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित :

श्री विवेक राठौर, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री आर. आर. सिन्हा, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।

निर्णय

(दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को पारित)

यह अपील सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 347/2003 में दिनांक 24-04-2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त विवादित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी कमलेश साहू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 6 माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है :-

दूधबाई (अ.सा.-5) घायल गज्जू (अ.सा.-4) की माता है। दिनांक 25-05-2003 को लगभग सायं 4:00 बजे, संपत्ति के बंटवारे को लेकर गज्जू (अ.सा.-4) एवं पन्ना लाल (अपीलार्थी के पिता) के मध्य विवाद हुआ। संपत्ति के इसी विवाद के कारण दिनांक 25/26-05-2003 की मध्यरात्रि में अपीलार्थी गज्जू (अ.सा.-4) के घर में घुसा और उस पर गुप्ती से प्रहार किया। उस समय गज्जू (अ.सा.-4) सो रहा था। जब अपीलार्थी ने गज्जू (अ.सा.-4) के पेट पर गुप्ती से पहला वार किया, तब उसकी नींद खुल गई। इसके पश्चात अपीलार्थी ने उसके सीने पर गुप्ती से दूसरा वार किया। गज्जू (अ.सा.-4) के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माता दूधबाई (अ.सा.-5) जाग गई। घटना के पश्चात अपीलार्थी घटना-स्थल से भाग गया। दूधबाई (अ.सा.-5) ने अपीलार्थी को घटना-स्थल से भागते हुए देखा। गज्जू (अ.सा.-4) को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर ले जाया गया, जहाँ उसे भर्ती किया गया। दूधबाई (अ.सा.-5) द्वारा थाना सरस्वती नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जहाँ देहाती नालिशी (प्रदर्श पी.-5) दर्ज की गई। तत्पश्चात थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 70/2003 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-7) पंजीबद्ध की गई। गज्जू (अ.सा.-4) को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अम्बेडकर अस्पताल, रायपुर भेजा गया, जिसका संदर्भ प्रदर्श पी.-6 है। डॉ. श्रीमती एस. फुलझेले (अ.सा.-3) ने गज्जू (अ.सा.-4) का परीक्षण किया तथा अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी.-9 प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईं :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i) दाहिनी छाती के भाग में पाँचवें इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड-क्लैविकुलर लाइन से 2.5 से.मी. पार्श्व में छुरा-घाव।

ii) दाहिनी कॉस्टल मार्जिन के सातवें इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड-क्लैविकुलर लाइन से 2.5 से.मी. मध्य की ओर छुरा-घाव।

iii) दाहिने हाथ की हथेली की ओर 1 से.मी. × 0.5 से.मी. का कटाव घाव।

iv) दाहिने हाथ के पृष्ठीय भाग में लगभग 1.5 से.मी. × 0.5 से.मी. का उपत्वचीय गहराई तक का कटाव घाव।

आगे की विवेचना के दौरान, घटना-स्थल से रक्तरंजित मिट्टी एवं साधारण मिट्टी जप्त की गई, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.-1 है। तत्पश्चात अपीलार्थी का स्मरण-पत्र कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किया गया।

साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी का कथन (प्रदर्श पी.-2) दर्ज किया गया तथा उसकी निशानदेही पर गुप्ती जप्त की गई, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.-3 है। बेड हेड टिकट (प्रदर्श पी.-4) जप्त किया गया। घायल गज्जू (अ.सा.-4) की रक्तरंजित फुल पैंट भी जप्त की गई, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.-12 है। घटना-स्थल का स्थल-मानचित्र (प्रदर्श पी.-13) तैयार किया गया। जप्तशुदा वस्तुओं को परीक्षण हेतु फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रायपुर भेजा गया, जिसका संदर्भ प्रदर्श पी.-16 है। तत्पश्चात फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-18) प्राप्त हुई। प्रदर्श पी.-18 के अनुसार, वस्तु 'A'—रक्तरंजित मिट्टी, वस्तु 'C'—घायल की पैंट तथा वस्तु 'D'—गुप्ती पर रक्त के धब्बे पाए गए।

विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को समर्पित किया। सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण उपरांत अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक राठौर ने तर्क प्रस्तुत किया कि गज्जू (अ.सा.-4) की साक्ष्य में अनेक विरोधाभास हैं। दूधबाई (अ.सा.-5) द्वारा अपीलार्थी की पहचान नहीं की गई है। वह घायल गज्जू (अ.सा.-4) की माता है तथा अत्यधिक इच्छुक गवाह है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-18) में यह उल्लेख नहीं है कि जप्त की गई गुप्ती पर मानव रक्त लगा हुआ था। उक्त रिपोर्ट में रक्त लिप्त का भी उल्लेख नहीं है। अतः सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध की गई दोषसिद्धि विधिसंगत नहीं है तथा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आर. आर. सिन्हा ने विवादित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया अतः अपीलार्थी को प्रदत्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि घायल गज्जू (अ.सा.-4) एवं दूधबाई (अ.सा.-5) की साक्ष्य पर आधारित है।

6. **ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 280]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :—

"21. केवल इस आधार पर कि साक्षी मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधी हैं, उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी पक्षकार से उनका संबंध साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है; अपितु सामान्यतः कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को छिपाकर किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाएगा। किसी पक्ष को यह सिद्ध करने हेतु ठोस तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करना होता है कि झूठा फँसाया गया है, और इसके लिए निर्दोष, विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। तथापि, ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्वक अपनाते हुए साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिए कि वह संगत एवं विश्वसनीय है या नहीं।

22. जब घटना का साक्षी स्वयं उसी घटना में घायल हुआ हो, तो ऐसे साक्षी की गवाही सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति घटना-स्थल पर होने की सुनिश्चित प्रमाण होती है और वह किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे रूप से फँसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावरों को छोड़ देने की संभावना नहीं रखता। किसी घायल साक्षी की गवाही को अविश्वसनीय ठहराने के लिए ठोस एवं प्रबल साक्ष्य आवश्यक होते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **मनो दत्त एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2012) 4 एस.सी.सी. 79]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :—

"30. सामान्यतः, घायल साक्षी की विश्वसनीयता अधिक होती है, क्योंकि वह स्वयं पीड़ित होता है और इस कारण उसके द्वारा घटना का कोई गलत विवरण देने अथवा किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने तथा वास्तविक अपराधी को बचाने का कोई अवसर नहीं होता। घायल साक्षी की गवाही को न्यायालय द्वारा कितना महत्व दिया जाना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, दाण्डिक न्यायशास्त्र का यह पहलू अब रेस इंटेग्रा नहीं रहा है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा निरंतर समान भाषा में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

31. हम मात्र अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 259 का संदर्भ देना पर्याप्त समझते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है :— (एस.सी.सी. पृष्ठ 271-72, पैराग्राफ 28-30)

"28. घटना के दौरान स्वयं घायल हुए साक्षी की साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, इस प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा व्यापक विचार किया गया है। जब घटना का साक्षी स्वयं उसी घटना में घायल हुआ हो, तो ऐसे साक्षी की गवाही सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय मानी जाती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति अपराध-स्थल पर होने की सुनिश्चित प्रमाण होती है और वह किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे रूप से फँसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावरों को छोड़ देने की संभावना नहीं रखता। किसी घायल साक्षी की गवाही को अविश्वसनीय ठहराने के लिए ठोस एवं प्रबल साक्ष्य आवश्यक होते हैं।"

[देखें : रामलगन सिंह बनाम बिहार राज्य, (1973) 3 एस.सी.सी. 881; मल्खान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1975) 3 एस.सी.सी. 311; मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एस.सी.सी. 470; अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य, 1988 सप्ली. एस.सी.सी. 241; बोंक्या बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1995) 6 एस.सी.सी. 447; भग सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1997) 7 एस.सी.सी. 712; मोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2002) 7 एस.सी.सी. 606 (एस.सी.सी. पी 606 बी -सी), दिनेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य, (2008) 8 एस.सी.सी. विष्णु बनाम राजस्थान राज्य, (2009) 10 एस.सी.सी. 270; अन्नारेड्डी संबशिवा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2009) 12 एस.सी.सी. 546 तथा बलराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 6 एस.सी.सी. 673)।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इस विवाद का निर्णय करते समय जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 9 एस.सी.सी. 719 में भी समान दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें इस न्यायालय ने घायल अभियुक्त/साक्षी की गवाही को प्रदत्त विशेष साक्ष्यात्मक महत्व को पुनः दोहराते हुए, अपने पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए निम्नानुसार प्रतिपादित किया :— (एस.सी.सी. पृष्ठ 726-27, पैराग्राफ 28-29)

"28. दर्शन सिंह (अ.सा.-4) एक घायल साक्षी था। उसका चिकित्सक द्वारा परीक्षण किया गया था। उसकी गवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता था।

उसने घटना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया, क्योंकि जब हमलावर ट्यूबवेल पर पहुँचे, उस समय वह वहीं उपस्थित था। शिवलिंगप्पा कल्याणप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, 1994 सप्ली. (3) एस.सी.सी. 235 में इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि घायल साक्षी के कथन पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने हेतु गंभीर आधार, जैसे— प्रमुख विरोधाभास अथवा विसंगतियाँ— विद्यमान न हों; क्योंकि यदि यह सिद्ध हो जाए कि उक्त घटना के दौरान उसे चोटें आई थीं, तो उसकी घटना-स्थल पर उपस्थिति स्वतः सिद्ध हो जाती है।

29. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद, [(2004) 7 एस.सी.सी. 629] में भी समान दृष्टिकोण को पुनः दोहराया गया है और यह कहा गया है कि घायल साक्षी की गवाही का अपना विशिष्ट महत्व एवं प्रभाव होता है। यह तथ्य कि साक्षी को घटना के समय एवं स्थान पर चोटें आईं, उसकी इस गवाही को बल प्रदान करता है कि वह घटना के दौरान उपस्थित था। यदि घायल साक्षी से लंबी प्रतिपरीक्षण की गई हो और उसकी गवाही को अस्वीकार करने हेतु कोई ठोस तथ्य उजागर न हो, तो उसकी गवाही पर विश्वास किया जाना चाहिए (कृष्ण बनाम हरियाणा राज्य, (2006) 12 एस.सी.सी. 459)। अतः, हमारा यह मत है कि "यह सुविचारित मत व्यक्त किया गया कि दर्शन सिंह (अ.सा.-4) की साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उचित रूप से विश्वास किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. इस विषय पर विधि का सार इस प्रकार है कि घायल साक्षी की गवाही को विधि में विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसका कारण यह है कि साक्षी को लगी चोट, अपराध-स्थल पर उसकी उपस्थिति की सुनिश्चित प्रमाण होती है तथा साक्षी केवल किसी तीसरे व्यक्ति को झूठे रूप से फँसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर को दण्ड से मुक्त करने की इच्छा नहीं रखेगा। अतः, घायल साक्षी के कथन पर विश्वास किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके साक्ष्य में विद्यमान प्रमुख विरोधाभासों एवं गंभीर विसंगतियों के आधार पर उसे अस्वीकार करने हेतु ठोस कारण न हों।

8. गज्जू (अ.सा.-4) ने अपने कथन में बताया कि अपीलार्थी उसके पिता के बड़े भाई (ताऊ) का पुत्र है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसके एवं उसके ताऊ के मध्य विवाद हुआ था। उस समय अपीलार्थी ने उसे धमकी भी दी थी। उसने आगे कथन किया कि रात्रि में भोजन करने के पश्चात वह अपने घर में सो गया था। लगभग रात्रि 1:30 बजे (मध्यरात्रि) अपीलार्थी उसके घर में घुसा और उसके पेट पर गुप्ती से वार किया। इससे उसकी नींद खुल गई। तत्पश्चात अपीलार्थी ने उसके सीने पर गुप्ती से दूसरा वार किया। वह चीख पड़ा। उसकी चीख-पुकार सुनकर दूधबाई (अ.सा.-5) जाग गई। उसने चिल्लाकर कहा कि कमलेश (अपीलार्थी) ने उस पर हमला किया है और वह भाग रहा है। इसके पश्चात वह अचेत हो गया।

9. दूधबाई (अ.सा.-5) ने अपने कथन में बताया कि गज्जू (अ.सा.-4) उसका पुत्र है तथा अपीलार्थी उसके पति के भाई (जेठ) का पुत्र है। घटना की तिथि को लगभग सायं 4-5 बजे, गज्जू (अ.सा.-4) के साथ विवाद हुआ था तथा अपीलार्थी के पिता पन्ना लाल के मध्य विवाद हुआ था। उस समय अपीलार्थी भी वहाँ उपस्थित था और उसने गज्जू (अ.सा.-4) को धमकी दी थी। मध्यरात्रि लगभग 1–2 बजे, उसके पुत्र गज्जू (अ.सा.-4) ने चिल्लाकर कहा कि अपीलार्थी ने उस पर हमला किया है, जिससे वह जाग गई और उसने देखा कि अपीलार्थी वहाँ से भाग रहा था। गज्जू (अ.सा.-4) के सीने में चोट आई थी और वह अचेत अवस्था में चला गया था। उसने आगे यह भी कथन किया कि गज्जू (अ.सा.-4) को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर ले जाया गया तथा उसने रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-5) दर्ज कराई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. डॉ. श्रीमती एस. फुलझेले (अ.सा.-3) ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 26-05-2003 को उन्होंने गज्जू (अ.सा.-4) का परीक्षण किया तथा अपनी चिकित्सीय रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-9) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाईं :—

i) दाहिनी छाती के भाग में पाँचवें इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड-क्लैविकुलर लाइन से 2.5 से.मी. पार्श्व में छुरा-घाव।

ii) दाहिनी कॉस्टल मार्जिन के सातवें इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड-क्लैविकुलर लाइन से 2.5 से.मी. मध्य की ओर छुरा-घाव।

iii) दाहिने हाथ की हथेली की ओर 1 से.मी. × 0.5 से.मी. का कटाव घाव।

iv) दाहिने हाथ के पृष्ठीय भाग में लगभग 1.5 से.मी. × 0.5 से.मी. का उपत्वचीय गहराई तक का कटाव घाव।

उन्होंने आगे कथन किया कि उन्होंने घायल को आगे की जाँच हेतु शल्य एवं अस्थि रोग विभाग को संदर्भित किया। चोटों की अवधि 0 से 6 घंटे के भीतर की थी।

11. घटना की तिथि एवं समय दिनांक 26-05-2003 को लगभग रात्रि 1:30 बजे (मध्यरात्रि) का है तथा उसी दिन लगभग रात्रि 3:30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-7) दर्ज की गई, अर्थात् घटना के लगभग 2 घंटे के भीतर। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-7) बिना किसी विलंब के दर्ज की गई है।

12. मैंने गज्जू (अ.सा.-4) तथा दूधबाई (अ.सा.-5) की साक्ष्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। गज्जू (अ.सा.-4) ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना की तिथि को अपीलार्थी ने उस पर गुप्ती से हमला किया था। दूधबाई (अ.सा.-5) ने भी कथन किया है कि अपने पुत्र गज्जू (अ.सा.-4) की चीख-पुकार सुनकर वह जाग गई तथा उसने अपीलार्थी को अपने घर से भागते हुए देखा। इन दोनों की साक्ष्य का चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन होता है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि गज्जू (अ.सा.-4) एवं दूधबाई (अ.सा.-5) की गवाही विश्वसनीय एवं संगत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अब यह विचारणीय है कि क्या अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दण्डनीय है।

14. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक राठौर ने तर्क प्रस्तुत किया कि स्वयं गज्जू (अ.सा.-4) के कथन से यह स्पष्ट है कि विवाद अपीलार्थी के पिता एवं गज्जू (अ.सा.-4) के मध्य हुआ था। डॉ. श्रीमती एस. फुलझेले (अ.सा.-3) ने यह कथन नहीं किया है कि चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। अभियोजन द्वारा चोटों की प्रकृति सिद्ध नहीं की गई है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि डिस्चार्ज टिकट (प्रदर्श पी.-11) से यह परिलक्षित होता है कि गज्जू (अ.सा.-4) को दिनांक 26-05-2003 को अस्पताल में भर्ती किया गया तथा दिनांक 04-06-2003 को, अर्थात् लगभग 10 दिनों के पश्चात, अस्पताल से छुट्टी दी गई। अतः यह प्रतीत होता है कि गज्जू (अ.सा.-4) को आई चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं थीं। अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि गज्जू (अ.सा.-4) को आई चोटें उसके जीवन के लिए घातक थीं, अतः अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत दण्डनीय है। अपीलार्थी दिनांक 27-05-2003 से 09-07-2003 तक तथा पुनः दिनांक 24-04-2004 से 03-12-2004 तक, अर्थात् लगभग 8 माह की अवधि तक, कारावास में रहा अर्थात्

लगभग 8 माह 20 दिन। न्याय के हित में यह पर्याप्त होगा कि अपीलार्थी को उतनी ही अवधि का दण्ड दिया जाए, जितनी अवधि वह पहले ही कारावास में व्यतीत कर चुका है।

15. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री आर. आर. सिन्हा ने उपर्युक्त तर्कों का विरोध किया।

16. गज्जू (अ.सा.-4) ने अपने कथन में बताया कि घटना की तिथि को लगभग सायं 4 बजे उसके एवं अपीलार्थी के पिता के मध्य विवाद हुआ था तथा अपीलार्थी ने उसे धमकी दी थी। लगभग रात्रि 1:30 बजे (मध्यरात्रि) अपीलार्थी उसके घर में घुसा और उसके पेट एवं सीने पर गुप्ती से वार किया। डॉ. श्रीमती एस. फुलझेले (अ.सा.-3) ने गज्जू (अ.सा.-4) का परीक्षण किया तथा उसके सीने, पेट एवं हाथ में छुरा-घाव पाए। उन्होंने घायल को आगे की जाँच हेतु शल्य एवं अस्थि रोग विभाग को संदर्भित किया।

17. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध स्थापित करने हेतु निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है :—

(क) हत्या करने का आशय अथवा ज्ञान; तथा

(ख) उस आशय की पूर्ति की दिशा में किया गया कोई कृत्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 307 के प्रयोजनार्थ, जो बात महत्वपूर्ण है वह आशय अथवा ज्ञान है, न कि किए गए वास्तविक कृत्य का परिणाम। यह धारा स्पष्ट रूप से ऐसे कृत्य की परिकल्पना करती है, जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, किंतु किसी मध्यवर्ती परिस्थिति के कारण वांछित परिणाम उत्पन्न न कर सका हो। आशय अथवा ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो हत्या का अपराध गठित करने के लिए आवश्यक हो। ऐसे आशय अथवा ज्ञान के अभाव में, जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के आवश्यक तत्व हैं। ऐसे आशय अथवा ज्ञान के अभाव में हत्या के प्रयास का अपराध गठित नहीं होता।

18. वर्तमान प्रकरण में यह स्थापित है कि गज्जू (अ.सा.-4) एवं अपीलार्थी के पिता के मध्य विवाद हुआ था। अपीलार्थी गुप्ती से सुसज्जित होकर गज्जू (अ.सा.-4) के घर में प्रविष्ट हुआ तथा उसके उदर एवं वक्षस्थल पर गुप्ती से प्रहार किया। अतः अपीलार्थी का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के परिधि में आता है।

19. उपर्युक्त कारणों के दृष्टिगत, मुझे विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलेखित निष्कर्षों में कोई त्रुटि या अवैधता दृष्टिगोचर नहीं होती।

20. दण्ड के प्रश्न पर विचार करते हुए, यह पाया जाता है कि चोट क्रमांक 1 एवं 2 से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 का प्रयोग आकर्षित होता है। अन्य चोटें हाथ पर थीं। घटना वर्ष 2003 की है। अतः मुझे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को प्रदत्त 7 वर्ष का दण्ड कुछ अधिक है।

21. परिणामस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है, तथापि उसे प्रदत्त 7 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड को घटाकर 5 वर्ष का कठोर कारावास किया जाता है। अर्थदण्ड का दण्डादेश यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी शेष कारावास दण्ड, यदि कोई हो, भोगने हेतु अविलम्ब विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
(आर. एस. शर्मा)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अनुवादक . प्रशांत पारख अधिवक्ता